



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नजीबाबाद

दिनांक 01.08.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 184/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 01.08.2025 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. सोनिया निवासी सुभाषनगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.अक्षय निवासी ग्राम खेडा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व एक अज्ञात द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गये। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 184/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त राजकुमार पुत्र संतोष निवासी कस्बा व थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही—

आज दिनांक 01.08.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र संतोष निवासी कस्बा व थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. राजकुमार पुत्र संतोष निवासी कस्बा व थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1.उपनिरीक्षक समयपाल सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 236 रोहित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.महिला आरक्षी 2154 निधि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना स्योहारा**

दिनांक 01.08.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 291 / 25 धारा 109(1) / 115(2) / 351(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.07.2025 को वादिया श्रीमति रीना पत्नी भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त राजपाल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम राजीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के पति भूपेन्द्र के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से सिर पर फावड़े से हमला किया व धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 291 / 25 धारा 115(2) / 109(1) / 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 01.08.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राजपाल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम राजीपुर रसूलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

1. राजपाल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम राजीपुर रसूलपुर थाना स्योहारा बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उपनिरीक्षक यशदेव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 2501 शिवम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 2233 रूपक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना कोतवाली शहर **दिनांक 01.08.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 654/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी के 700 रुपये सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.07.2025 को अभियुक्त अमन पुत्र इमरान निवासी मौहल्ला चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी श्री सन्नी शर्मा पुत्र दलीप कुमार निवासी मौहल्ला चौधरियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के चाचा अतुल खन्ना की जन सेवा केन्द्र की दुकान से गल्ला खोलकर पैसै निकालकर भाग रहा था तभी वादी ने लोगो की मदद से अभियुक्त अमन को पकड लिया, जिसके दाहिने हाथ से गल्ले के चुराये हुए 700 रुपये बरामद हुए।

इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 654/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त अमन व बरामद किये गये 700 रुपये को कब्जे में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.अमन पुत्र इमरान निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

1— चोरी किये गये 700 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1.उ0नि0 सुशील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 1697 दिलीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 01.08.2025

स्वाट / सर्विलांस टीम व थाना हल्दौर पुलिस ने बकरे चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान नगदी, अवैध शस्त्र व घटना मे प्रयुक्त कार सहित घायल अवस्था में किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.07.2025 को वादिया ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि दिनांक 12.07.2025 को वादिया सडक पर अपनी बकरी चरा रही थी इसी दौरान पीछे से कार सं0 DL4CAV-8364 में सवार 02 अज्ञात व्यक्ति वादिया के 03 बकरे अपनी कार मे चोरी करके ले गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 180/25 धारा 303(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

दिनांक 01.08.2025 की रात्रि में स्वाट / सर्विलांस टीम व थाना हल्दौर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त कार से चांदपुर से मोहनपुर तिराहे की तरफ आ रहा है । सूचना पर थाना हल्दौर पुलिस तत्काल मोहनपुर तिराहे पर पहुंचकर चेकिंग शुरू की गयी तो चांदपुर की तरफ से एक संदिग्ध कार आती दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया । किन्तु कार सवार कार न रोककर ग्राम मोहनपुर की तरफ मोड़कर भागने लगा । पुलिस टीम द्वारा कार का पीछा किया गया तो अभियुक्त की कार आगे जाकर कच्चे रास्ते पर फंस गई । स्वयं को पुलिस टीम से घिरा देखकर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया । पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया ।

पूछताछ पर अभियुक्त ने अपना नाम शहजाद उर्फ काला पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम अकबरपुर सिकन्दरपुर थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी निकट रूपा स्कूल वाली गली थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर बताया । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा / 01 खोखा कारतूस 315 बोर, चोरी किये गए बकरो के विक्रय से प्राप्त 5150 /- रुपये तथा घटना मे प्रयुक्त कार होन्डा अमेज (मय 02 फर्जी नम्बर प्लेट DL4CAV-8364 व DL1CU4392) व एक गैस सिलेन्डर (भारत कम्पनी) बरामद किया गया । अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है । इस संबंध में थाना हल्दौर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्त शहजाद ने बताया कि वह अपने साथी अरशद पुत्र इरफान उर्फ फाना निवासी मोहल्ला तहसील वाली गली थाना खालापार, जनपद मुजफ्फरनगर के साथ मिलकर लगभग 20 दिन पूर्व ग्राम जैनुलआब्दीनपुर से दिन में तीन बकरे चोरी किए थे, जिन्हें कार में मुजफ्फरनगर ले जाकर अरशद ने अपने परिचित अफजाल कुरैशी को ₹ 18,000/- में बेच दिया था। जिसे से उसे ₹ 9,000/- रुपये मिले थे। लगभग एक माह पूर्व भी उनके द्वारा थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव शादीपुर डल्ला से एक बकरा चोरी किया था (इस सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 574/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है)। आज फिर वह चोरी के उद्देश्य से अकेला रेकी करने आया था। बरामद कार के संबंध में बताया गया कि यह गाडी उसके साथी अरशद ने अपने रिश्तेदार से ढाई लाख रुपये में खरीदी है, जिसका चेचिस नंबर बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी गई, जिससे कि वे पुलिस की पकड में न आ सके।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शहजाद उर्फ काला पुत्र दिलशाद निवासी मौ0 किदवई नगर थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण –

1. अरशद पुत्र इरफान उर्फ फाना निवासी मौ0 तहसील वाली गली खालापार थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर
2. अफजाल कुरैशी

बरामदगी –

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस
चोरी के बकरो की बिक्री से प्राप्त 5150/- रुपये की नगदी
घटना में प्रयुक्त कार होन्डा अमेज कार सं0 DL4CAV-8364
एक गैस सिलेन्डर (भारत कम्पनी)

अभियुक्त शहजाद उर्फ काला का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 704/2020 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर
2. मु0अ0सं0 753/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर
3. मु0अ0सं0 755/2020 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर
4. मु0अ0सं0 224/2021 धारा 414/420/465 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
5. मु0अ0सं0 232/2021 धारा 307 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
6. मु0अ0सं0 234/2021 धारा 414 भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
7. मु0अ0सं0 009/2022 धारा 174-ए भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
8. मु0अ0सं0 034/2022 धारा 3/25 आयुध अधि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
9. मु0अ0सं0 600/2022 धारा 174-ए भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
10. मु0अ0सं0 727/2022 धारा 174-ए भादवि थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
11. मु0अ0सं0 167/2023 धारा 380 भादवि थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
12. मु0अ0सं0 197/2023 धारा 380/457 भादवि मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
23. मु0अ0सं0 209/2023 धारा 379 भादवि मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
14. मु0अ0सं0 227/2023 धारा 380/457 भादवि थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर

- 15.मु0अ0सं0 229/2023 धारा 380 भादवि मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
- 16.मु0अ0सं0 266/2023 धारा 380/ 457 भादवि थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर
- 17.मु0अ0सं0 297/2023 धारा 380 भादवि थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर
- 18.मु0अ0सं0 345/2023 धारा 379/411 भादवि थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फर नगर
- 19.मु0अ0सं0 349/2023 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 व धारा 307/34/389/411/414/465 भादवि थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर
- 20.मु0अ0सं0 378/2023 धारा 307/411/414/465/483 भादवि व धारा 3/4/25/27 आयुध अधि0 चालानी थाना सिविल लाईन्स जनपद मुजफ्फरनगर
- 21.मु0अ0सं0 834/2023 धारा 379/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 22.मु0अ0सं0 169/2024 धारा 406/420465/467/468/471 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर
- 23.मु0अ0सं0 226/2024 धारा 379/411 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फर नगर
- 24.मु0अ0सं0 228/2024 धारा 109/111/317(4)/317(5)/318(4)/336(2)/345(3) बीएनएस व धारा 3 आयुध अधि0 थाना सिविल लाईन्स जनपद मुजफ्फरनगर
- 25.मु0अ0सं0 250/2024 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना सिविल लाईन्स जनपद मुजफ्फरनगर
- 26.मु0अ0सं0 180/25 धारा 303(1)/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 27.मु0अ0सं0 574/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर बिजनौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार बैसला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.निरीक्षक श्री सचिन मलिक, प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 श्री योगेश कुमार, प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर
- 4.उ0नि0 श्री मीरहसन स्वाट टीम जनपद बिजनौर
- 5.व0उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह राठी हल्दौर जनपद बिजनौर
- 6.म0उ0नि0 श्रीमती अन्नू कुमारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 7.मु0आरक्षी जोगेन्द्र सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 8.कां0 1776 प्रवीण कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 9.कां0 377 अंकित तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 10.कां0 628 आशीष थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 11.कां0 886 विशाल थाना हल्दौर जनपद बिजनौर